

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम


फॉर्म अहकाम

गुन 71/16 तारीख रज 25-10-16

उक्तान - राधाकिशन बनाम रमेश चांतली
प्रार्थनापत्र आस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से सुनील कुमार जिंदल के द्वारा प्रार्थनापत्र
आस्था निषेधाज्ञा पेश किया। अस्तुतद स्वकीयात का निषेधाज्ञा
किता। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी गण दो जयिमे
समान से तलाक कर दिनांक 10-11-16 को पेश हो।

3294-96
26-10-16


उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (राजीव)

10-11-16

प्रार्थी वकील उपर्युक्त प्रार्थी की ओर से भी
सुरेश चंद शर्मा A.W. ने काल तनामा पेश
किया। अंतर्गत अस्था निषेधाज्ञा के बिना
चु कहल हुकी गर्द। कहल पर मन बने
हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अन्वेषण
किया। गुम दौलती की दूमे खसरा नम्बर
187, 197, 235 कुल किता 3 कुल रकबा
0.68 है० की (खेतवारी) प्रार्थी के नाम दर्ज की
गोसापतान का कीर्ण संबंध रिपोर्ट में दर्ज
नहीं की उपमहाराजा प्रजान प्रार्थी के पक्ष
में होने से गोसापतान को अंतर्गत अस्था
निषेधाज्ञा से आगामी सुनवाई तिथी 17
पाठेंद किया जाता है कि गुम दौलती

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अह्वाल


17-2-17 नहुवाय उपस्थित / अगस्तुता सिंग
22-2-17 को पेश हो

18-2-17 नहुवाय उप / अगस्तुता सिंग / नहीत उपस्थित
को सुनवा अदेश दिने जेते हैं कि अगस्तुता सिंग
पू अगस्तुता सिंग कोता है तो अगस्तुता सिंग
हो जायेगा / दिनांक 27-2-17 को पेश हो

27-2-17 अर्धी नहीत उपस्थित / अर्धी नहीत उपस्थित
नही / अर्धी नहीत उपस्थित को अर्धी नहीत उपस्थित
नही दिने भी नही उपस्थित नही / इसलि एक्को रिकार्ड
एक पञ्चम कार्यवाही दाल में लागी जाही है।
पाखे बहस दिनांक 6-3-17 को पेश हो।

5-3-17 अर्धी नहीत उपस्थित / अर्धी नहीत उपस्थित
निषेधाज्ञा पर अर्धी नहीत की करत सुनीगरी
अर्धी नहीत से बर्धित लप्पो को दोठरोते हुए अर्धी
लीकर दिने जेते बाकपन दिना / करतपु मनन
पति हुए पञ्चमली का अर्धी नहीत दिना / दिनांक
10-11-16 को जारी अर्धी नहीत निषेधाज्ञा को
ता दवा फैसला करत दिना जाया उपस्थित
होता है अतः दिनांक 10-11-16 को जारी
अर्धी नहीत निषेधाज्ञा को दवा के

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	पर्य अहकाम
	<p>कैसला हीने तक कन्कारा बिपा जाता है और लायलान को पाकेंद बिपा जाता है कि शाह दांतली की भूमि खसरा नम्बर 187, 197, 225 कुल भिना 3 छत नकका 0.68 ई० में साफल के कब्जे काइर में बिसी प्रवा से गजामस्त मदाफलत नही० कें। निर्दिष्ट आज दिनांक 6.3.17 को खुले न्यायालय में सुजापान, फर्मावली कैसल मुमा हो का नाम से बर हो का दावा फर्मावली के साथ ही लान देल</p> <p style="text-align: right;">  उप जिला कलेक्टर टोडा (पंचक) </p>